विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 7 अक्तूबर, 2022

संख्याः एल.एल.आर.–डी.(6)–16/2022–लेज.–हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 11) को दिनांक 01–10–2022 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2022 के अधिनियम संख्यांक 18 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

राजीव भारद्वाज,
प्रधान सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2022

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 5 का संशोधन।
4. धारा 43 का संशोधन।
5. धारा 157 का संशोधन।
6. धारा 393 का संशोधन।

2022 का अधिनियम संख्यांक 18

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2022

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 1 अक्तूबर, 2022 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम.––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

2. **धारा 2 का संशोधन.**——हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 में,—

(क) खण्ड 18 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(18क.)" "कुटुम्ब" से, दत्तकग्रहण सहित एक ही पूर्वज से अवजनित समस्त व्यक्तियों का संयुक्त कुटुम्ब, जो नगर निगम के परिवार रजिस्टर में यथादर्शित स्थायी रूप से एक साथ रहता है, उपासना करता है और सहभोज करता है, अभिप्रेत है;";

(ख) खण्ड 54 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(54क.) "धारा" से, इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;"।

3. **धारा 5 का संशोधन.**——मूल अधिनियम की धारा 5 की उप—धारा (2) के परन्तुक के अन्त में ''।" चिह्न के स्थान पर ":" चिह्न रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निगम के निर्वाचन उसके नियन्त्रण से परे कारणों के कारण निगम की अवधि के दौरान संचालित नहीं किए जा सके हों तो इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन नगर निगम द्वारा प्रदत्त समस्त शक्तियां और अधिरोपित कर्त्तव्य निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात् धारा 404 में यथाउपबंधित रीति में नगर निगम के कार्यकाल के अवसान की तारीख से सम्यक् रूप से नए निकाय के गठन तक ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जो सरकार उस निमित्त नियुक्त करे, प्रयोग की जाएंगी और उनका निर्वहन किया जाएगा।"।

4. **धारा 43 का संशोधन.**——मूल अधिनियम की धारा 43 में,—

(क) खण्ड (न) के अन्त में शब्द ''और'' का लोप किया जाएगा; और

(ख) खण्ड (प) में ''।'' चिन्ह के स्थान पर ''; और'' चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे और तत्पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(फ) परिवार रजिस्टर का, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, अनुरक्षण;।"।

5. **धारा 157 का संशोधन.**——मूल अधिनियम की धारा 157 के खण्ड (क) में, "सार्वजनिक नीलामी द्वारा" शब्दों के पश्चात् "या अन्यथा ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए", शब्द और चिह्न अन्तःस्थापित किए जाएंगे।''।

6. **धारा 393 का संशोधन.**——मूल अधिनियम की धारा 393 की उप—धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई नियम, जिसे बनाने के लिए सरकार सशक्त है उपबंधित कर सकेगा कि उसका कोई उल्लंघन जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।"।

——————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH MUNICPAL CORPORATION (SECOND AMENDMENT) ACT, 2022

ARRANGMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title.
2. Amendment of section 2.
3. Amendment of section 5.
4. Amendment of section 43.
5. Amendment of section 157.
6. Amendment of section 393.

Act No. 18 of 2022

THE HIMACHAL PRADESH MUNICPAL CORPORATION (SECOND AMENDMENT) ACT, 2022

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 1ST OCtoBER, 2022)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No.12 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in Seventy-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Second Amendment) Act, 2022.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994) (hereinafter referred to as the “principal Act’’),—

(a) after clause (18), the following clause shall be inserted, namely:—

“(18-a) “family” means a joint family of all persons descended from a common ancestor including by adoption, who live, worship and mess together permanently as shown in the Parivar Register of the Municipal Corporation;”;

(b) after clause (54) , the following clause shall be inserted, namely:—

“(54-a) “section” means the section of this Act;”.

3. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act, in sub-section (2), at the end of proviso for the sign "." , the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that if the elections to a Corporation could not be conducted by the State Election Commission during the duration of the Corporation due to the reasons beyond its control, all powers and duties conferred and imposed upon the Corporation by or under this Act or any other law shall be exercised and performed by such officer or authority, as the Government may appoint in that behalf, in the manner as provided in section 404, from the date of expiry of the term of the Corporation till a new body is duly constituted after completion of the election process.".

4. Amendment of section 43.—In section 43 of the principal Act,—

(a) in clause (t), at the end the word "and" shall be omitted; and

(b) in clause (u) for the sign "." the sign and word "; and" shall be substituted and thereafter the following clause shall be inserted, namely:—

"(v) maintenance of Parivar Register in the manner as may be prescribed.".

5. Amendment of section 157.—In section 157 of the principal Act, in clause (a), "after the words "by public auction", the words "or otherwise in the manner as may be prescribed" shall be inserted.".

6. Amendment of section 393.—In section 393 of the principal Act, for sub-section (1), the following shall be substituted , namely:—

"(1) Save as otherwise provided in this Act, the Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(1A) Any rule which the Government is empowered to make under this Act, may provide that any contravention thereof shall be punishable with fine which may extend to Rupees one Lakh.".

____